न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 137 / 2012

1 रोहताश पुत्र उदमी
2 अमरसिंह पुत्र किशनाराम
3 धर्मपाल पुत्र किशनाराम
4 रामस्वरूप पुत्र दाताराम
5 सतबीर पुत्र दाताराम
6 सुबेसिंह पुत्र दाताराम
7 श्रीमती श्योबाई पत्नी स्व. छैलुराम
8 मोहरसिंह पुत्र छैलुराम
9 लीलाराम पुत्र स्व. छैलुराम
10 रणवीर पुत्र छैलुराम
11 बलवीर पुत्र छैलुराम
12 किताब पुत्र छैलुराम
13 सावित्री पुत्री छैलुराम
14 कमला पुत्री छैलुराम
15 भाती पुत्री छैलुराम
16 श्रीमती लिछमा पुत्री दाताराम
17 ग्यारसी पुत्री किशनाराम
18 संतरा पुत्री किशना
19 भादर पुत्री किशना
20 महेन्द्र कुमारी पुत्री किशना
समस्त जातिगण जाटान निवासीगण गोरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
मुकदमा नम्बर 76/2010 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम
रोहताश वगै. दिनांक 13.07.2012 अ. धारा 177 राज. टि.एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 8/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 76/2010 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 1478 वाके ग्राम गोरीर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार किया लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तत्कालीन हल्का पटवारी गोरीर ने नदी के आस पास के किसानों से मुकदमा करने की धमकी देकर नाजायज वसूली करता था। अपीलार्थीगण ने पटवारी को कोई रिश्वत नहीं दी तो उसने उनकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.80 है. पड़त बा. 3 वाके ग्राम गोरीर मुताबिक रिकार्ड रोहताश पुत्र उदमी हिस्सा 1/4, अमरसिंह, धर्मपाल पिता किशना, सन्तरा, भादर, महेन्द्राकुमारी, ग्यारसी पुत्रियां किशना हिस्सा 1/4, रामस्वरूप, सतबीर, सुबेसिंह, पिता दाताराम, लिछमा पत्नी दाताराम हिस्सा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/4, श्योबाई पत्नी छैलुराम, मोहरसिंह, लिलाराम, रणवीर, बलबीरं पिता छैलुराम, किताब, सावित्री, कमला, भाती पुत्रियां छैलुराम हिस्सा 1/4 रकबा 0.80 है. में से 6000 घनमीटर भूमि में बिना सरकार की स्वीकृति के अवैध रूप से बजरी खनन किये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी को पेश कर दी। जिसके आधार पर तहसीलदार ने अपीलार्थीगण के खिलाफ जैर बहस अपील का दावा पेश कर दिया। हल्का पटवारी ने न तो विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर अपने हल्फिया बयान दिये है और न ही वादी सरकार ने गांव के किसी मौजिज आदमी या पड़ोसीी खातेदारान के बयान करवाये है। महज पटवारी की झुठी व पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट बनाकर अपीलार्थीगण के खिलाफ दावा पेश कर दिया। जिसको विचारण न्यायालय सरसरी तौर पर गलत ढंग से निर्णय कर अपीलार्थीगण की खातेदारी को समाप्त कर दिया। जो न्याय के मूलभूल सिद्धान्तों व टिनेन्सी एक्ट की अवधारणा के खिलाफ है। अपीलार्थीगण की उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि का व अन्य संयुक्त खातेदारी का बाहमी बंटवारा करीब 50 साल पूर्व हो गया था। उक्त खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.80 है. मोहरसिंह वगै. के हिस्से में आयी हुयी है तथा कब्जा काश्त है। अपीलार्थीगण ने अपने खेत में से न तो स्वयं ने ओर न किसी अन्य से बजरी खनन करवायी है। मोहरसिंह वगै. ने उक्त भूमि पर गत वर्ष चने की फसल काश्त की थी। अपीलार्थीगण का खेत नदी मुहाने से करीब 1. 5 किमी दूर पड़ता है। अपीलान्ट के खेत में जब बजरी ही नहीं है तो अवैध खनन कर बजरी निकालने का सवाल ही पैदान नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का गोरीर से कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारा की रिपोर्ट मंगवानी चाहिए थी। गांव की पंचायत की आपसी वोटो की राजनीति के कारण कुछ लोग अपीलार्थीगण के परिवार से नाराजगी रखते है। ऐसे लोग प्रशासन को अवैध बजरी खनन की झूठी शिकायते देते रहते है। जबकि ऐसी शातिर लोग स्वयं बजरी खनन का धंधा करते है। खातेदारों की खातेदारी को महज पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर समाप्त किया जाना अपने आप में अन्याय है। अपीलार्थीगण ने कभी भी उक्त खसरा नम्बरान में बजरी खनन न तो स्वयं ने किया है और न किसी को करने दिया और ना ही उक्त भूमि में बजरी है। हल्का पटवारी गोरीर ने गलत रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर विचारण न्यायालय का निर्णय खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार खेतड़ी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1478 ग्राम गोरीर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1478 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। मौके पर खनन किया हुआ है। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार ग्राम गोरीर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1478 पर खनन किया हुआ पाया गया तथा जमीन उबड़ खाबड़ व लगभग 20–25 फीट के खड्डे बने हुये है। उक्त खसरा नम्बर 1478 को कृषि कार्य के काम में नहीं लिया जा रहा है। खातेदारान द्वारा बिना भू–रूपान्तरण करवाये ही भूमि का अकृषि उपयोग करना कतई अनुचित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के सर्वथा विपरित है। बंजड़–2 दर्ज भूमि का इस प्रकार अवैध रूप से बजरी दोहन हेतु उपयोग कृषि प्रयोज्य रकबे को कम करेगा तथा भूमि के स्वरूप में असंतुलित परिवर्तन करेगा। खातेदार द्वारा ऐसा करके स्पष्ट रूप से धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अहितकर कार्य कर संविदा भंग की है व उसके खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.06.2025 को प्रस्तुत वस्तुस्थिति की रिपोर्ट में मौके पर भूमि समतल होना तथा बाजरा काश्त होने का अंकन आया है। मौके की स्थिति बाद में परिवर्तित हुई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकरण में निम्नलिखित विधिक त्रुटियां पाई गई है।

1 प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तामील की प्रकिया विधि सम्मत तरीके से संपादित नहीं की गई है।

2 प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विवाद बिन्दु कायम नहीं किये गये है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3 विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण के लिए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये है।

4 पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय निम्न विधिक बिन्दुओं की पालना नहीं की गई है।

(अ) स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये है।
(ब) पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा नहीं बनाया गया है। इसके अभाव में खनन की गई भूमि के रकबे का आंकलन नहीं हो सकता है।
(स) सहखातेदारी की भूमि में नजरी नक्शे के अभाव में किस पक्षकार द्वारा कितनी भूमि, कितने रकबे में खनन किया गया है। यह निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
(द) खनन की गंई भूमि के फोटोग्राफ/गुगल मेप भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है।

5 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत कृषि भूमि में खनन किये गये तत्व(खनिज) का पंचनामा तैयार नहीं किया गया है, जो कि माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाना होता है, ना ही पक्षकारों को शास्ति का नोटिस दिया गया।

6 पत्रावली पर खनन किये गये खनिज की जब्ती की फर्द तैयार नहीं की गई है।

7 खनन के संदर्भ में खान विभाग को सूचना दिये जाने का दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

8 अवैध खनन के संदर्भ में माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से पंचनामा तैयार करवाकर भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। निर्णय में विवेचित अन्य बिन्दुओं की भी पालना कर संपूर्ण तथ्यों को पुनः निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विधिक प्रकिया अनुसार विचारण न्यायालय को किसी भी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने से पूर्व तहसीलदार

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भूमिधारक से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर निर्णय पारित करना चाहिए। विचारण न्यायालय ने उक्त विधिक बिन्दुओं की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि निर्णय में विवेचित बिन्दुओं की आवश्यक रूप से पालना कर, अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय आगामी दो माह में आवश्यक रूप से पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 8/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर